अध्याय – 5

जल निकायों का संरक्षण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी)

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के अंतर्गत नदी और झील कार्य योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इसके लिए वह राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

परिचय और उद्देश्य

एन.आर.सी.पी. का उद्देश्य देश में जल के प्रमुख स्रोत नदियों के जल की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण कार्यों को मानक स्तर तक प्रयोग करना होता है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 35 नदियों को शामिल किया जा चुका है। इन नदियों के नाम हैं:–

क्र.सं.	नदी	क्र.सं.	नदी	क्र.सं.	नदी	क्र.सं.	नदी
1	**आड्यार**	10	धीपू और धनश्री	19	महानंदा	28	ताप्ती
2	बेतवा	11	गंगा	20	मुसी	29	तुंगा
3	बीहर	12	गोदावरी	21	नर्मदा	30	तुंगभद्रा
4	भद्रा	13	गोमती	22	पेन्नार	31	ताम्रबर्णी
5.	ब्राह्मणी	14	खान	23	पंबा	32	वैगई
6	कावेरी	15	कृष्णा	24	रानीचू	33	वेन्नार
7	कूऊम	16	शिप्रा	25	साबरमती	34	वेनगंगा
8	चंबल	17	महानदी	26	सतलुज	35	यमुना
9	दामोदर	18	मंडोवी	27	सुवर्णरेखा		

एनआरसीपी के अंतर्गत शामिल अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित शामिल है

- नदी में गिरने वाले गंदे नालों के बहाव को रोकना, मोड़ना और उनका शोधन करना।
- गंदे नालों के शोधन के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना करना।
- नदी के किनारों पर खुले में शौच करने को रोकने के लिए सस्ते शौचालयों का निर्माण करना।
- लकड़ी के प्रयोग को कम करने के लिए विद्युत शवदाह गृहों तथा उन्नत काष्ठ शवदाहगृहों का निर्माण करना।
- नदी के किनारों का विकास करना जैसे कि नहाने के घाटों का उन्नयन करना।
- नदी के किनारों पर वनरोपण करना।
- इस समय राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत 4793 करोड़ रुपए है जिसमें 20 राज्यों की 35 नदियों से सटे 164 शहरों के प्रदूषण निवारण का कार्य शामिल हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम वाले 164 शहरों का नदी वार ब्यौरा अनुबंध–V में दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है:

किए गए कार्यों की प्रगति

गंगा कार्य योजना (जी.ए.जी.)

एन.आर. सी.डी. के तहत शुरु की गई पहली नदी कार्य योजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चरण–I में 869 एम.एल.

चित्र 45. चन्दननगर, पश्चिम बंगाल में मनोहारी छटा के साथ सीवेज शोधन संयंत्र

डी. (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की मलजल शोधक क्षमता सृजित की गई है और इस पर 452 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह चरण मार्च 2000 में पूरा हो गया। गंगा नदी कार्य योजना चरण–II के साथ 59 शहरों में 663.00 करोड़ रुपए की अनुमोदित राशि से किया जा रहा है।

यमुना कार्ययोजना (वाई.ए.पी.)

– यमुना कार्य योजना चरण–I कुल 753 एम.एल.डी. की मलजल शोधन क्षमता से सृजित की गई है और यह चरण मार्च 2003 में पूर्ण होना घोषित किया गया। यमुना कार्य योजना (वाई.ए.पी.) चरण–II को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जे.बी.आई.सी.) की ओर से 13.33 बिलियन येन की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। यह योजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) का एक हिस्सा है।

– जापान सरकार और भारत सरकार के बीच ऋण करार पर 31.3.2003 को हस्ताक्षर हुए थे। इस परियोजना के लिए यमुना कार्य योजना–II के अंतर्गत दिल्ली, उत्तर प्रदेश (8 शहर) और हरियाणा (6 शहर) में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 624 करोड़ रुपए की लागत का अनुमोदन किया गया था। यह परियोजना दिसंबर 2004 में शुरू हुई थी।

– यमुना कार्य योजना–II के अंतर्गत आने वाली लागत को भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 85:15 के हिसाब से बांटा जाता है अर्थात् 530 करोड़ रुपए केंद्र का शेयर और 94 करोड़ रुपए सरकार का शेयर होगा।

इस परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं:

दिल्ली – एस.टी.पी. (135 ए.एल.डी. नई क्षमता तथा 324 एक एल.डी. पुनः बहाली क्षमता) ट्रंक सीवरों को पुनः बहाल करना/पुनः स्थापित करना (30.82 किमी.)

उत्तर प्रदेश – एसटीपी (54 एमएलडी नई क्षमता) सीवर लाइन (70.57 किमी) राइजिंग केंद्र (5.25 किमी.)

हरियाणा – सीवर लाइन (73 किमी.)

– यमुना कार्य योजना–II परियोजना में तीन राज्यों के डीपीआर को तैयार करना भी शामिल है, जिन्हें वाईएपी–III योजना के अंतर्गत जेबीआईसी की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है। परियोजनाओं की परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग तथा दीर्घकालिक धारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए जन सहभागिता, क्षमता निर्माण आदि पर भी जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा द्वारा विभिन्न कार्यों को कार्यान्वित किया गया है।

गोमती कार्य योजना

गोमती कार्य योजना चरण-I

लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर में नदी प्रदूषण उपशमन कार्य के लिए गोमती कार्य योजना चरण–I की कुल अनुमोदित लागत 64.01 करोड़ रुपए है। जिसमें से 47.75 करोड़ रुपए लखनऊ का हिस्सा है। इस योजना के अंतर्गत 31 स्वीकृत योजनाओं में से 26 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 42 एमएसडी एसटीपी क्षमता का पहले ही सृजन किया जा चुका है।

गोमती कार्य योजना चरण-II

लखनऊ में गोमती कार्य योजना के दूसरे चरण के लिए स्वीकृत लागत 263.04 करोड़ रुपए है। परियोजना लागत को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 70:30 के अनुपात में बांटा जाना है। इस चरण के कार्यों में 375 एमएलडी की (पहले चरण में कुल मिलाकर 42 एमएलडी क्षमता स्थापित की जा रही है) कुल क्षमता के दो मलजल शोधन संयंत्र, शेष नालों के अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन कार्य तथा नदी–तटाग्र विकास, शौचालय, पौधारोपण, जन जागरूकता एवं सहभागिता एवं भूमि अधिग्रहण जैसे अन्य जागरूकता एवं सहभागिता एवं भूमि अधिग्रहण जैसे अन्य विविध कार्य शामिल हैं। 30 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाओं पर कार्य आरंभ हो चुका है।

अन्य नदी कार्य योजनाएं

– गोमती कार्य योजना–I तथा गोमती कार्य योजना–II के अंतर्गत शामिल गंगा नदी और इसकी उपत्यकाओं के अलावा एमआरसीडी ने 14 राज्यों की 30 नदियों और 68 शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्य शुरू कर दिया गया है।

– गोमती कार्य योजना–II तथा देश की अन्य नदियों संबंधी योजनाओं इस शीर्ष के अंतर्गत आने वाले नदी जल प्रदूषण उपशमन संबंधी कार्यों को 70:30 के निधियन ढांचे के आधार पर राष्ट्रीय नदी और संरक्षण योजना के अंतर्गत विलय कर दिया गया है।

– भारत सरकार द्वारा अब तक एनआरसीपी के लिए 4793 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय में से 2368 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। 3851 करोड़ रुपए की लागत पर एनआरसीपी के अंतर्गत 968 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी है। जिनमें से 673 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। एनआरसीपी के अंतर्गत अनुमोदित मलजल शोधन क्षमता के 5436 मिलियन प्रतिदिन के लक्ष्य की तुलना में संबंधित परियोजनाओं की अनुमोदित लागत के दायरे में डीपीआर के आधार पर अब तक 4123 एमएलडी स्वीकृत हो चुका है और वर्ष 2006-07 के अंत तक 2093 एमएलडी मलजल की क्षमता सृजित की जा चुकी है। इसके अलावा गंगा कार्य योजना चरण–I के अंतर्गत पहले ही 869 एमएलडी सृजित की जा चुकी है।

अनुमोदित पूरी की गई परियोजनाओं का विवरण

दिनांक 1.4.2007 से 30.9.2007 के बीच पूरी हो गई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुलग्नक–IV में दिया गया है। दिनांक 1.4.2007 से 31.10.2007 के बीच स्वीकृत परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक–III पर दी गई है। वर्ष 2007-08 के दौरान मलजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की स्थापना करके 252.57 एमएलडी क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके प्रति अक्टूबर 2007 तक कुल 38 एमएलडी क्षमता पूरी कर ली गई है और शेष एसटीपी क्षमता पूरी होने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

गंगा नदी के लिए जल गुणवत्ता प्रबंधन योजना

गंगा नदी की जल गुणवत्ता उत्तराखंड में ऋषिकेश से पश्चिम बंगाल में अलबेरिया तक 27 स्थानों पर प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (हरिद्वार), सीपीसीबी, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, भारतीय और प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, पटना विश्वविद्यालय और विधान यदि कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी जैसे संस्थानों द्वारा मॉनीटरिंग की जा रही है। गंगा कार्य

योजना के अंतर्गत पूरी हो चुकी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप गंगा नदी के किनारों पर भारी मात्रा में बढ़ते प्रदूषण के बावजूद गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सामान्य सुधार आया है। नदी जल गुणवत्ता के दो महत्वपूर्ण मानक अर्थात् घुलित ऑक्सीजन (डीओ) तथा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को गंगा नदी पर कुछ महत्वपूर्ण मॉनीटरिंग स्टेशनों पर ग्रीष्म औसतन मानों को तालिका 11 में दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

परिचय

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण/पुनरुद्धार के लिए मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जून 2001 में पोवई (महाराष्ट्र), ऊंटी और कोडई कनाल (तमिलनाडु) नामक तीन झीलों के संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं के अनुमोदन के साथ शुरू की गई थी।

तालिका 11 - गंगा कार्य योजना के अंतर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा पर जल गुणवत्ता के लिए ग्रीष्म औसतन मान

मॉनीटर वाले वाले स्टेशन का नाम	दूर (किमी. में)	घुलित जैव ऑक्सीजन* (मिग्रा./लीटर)		रासायनिक ऑक्सीजन मांग* (मिग्रा./लीटर)	
		1986	2007	1986	2007
ऋषिकेश	0	8.1	8.2	1.7	1.2
हरिद्वार अधो प्रवाह	30	8.1	8.1	1.8	1.3
गढ़मुक्तेश्वर	175	7.8	7.9	2.2	2.0
कन्नौज उर्ध्वप्रवाह	430	7.2	6.8	5.5	1.8
कन्नौज अधोप्रवाह	433	उपलब्ध नहीं	6.4	उपलब्ध नहीं	4.1
कानपुर उर्ध्वप्रवाह	530	7.2	5.8	7.2	2.9
कानपुर अधोप्रवाह	548	6.7	4.6	8.6	5.2
इलाहाबाद उर्ध्वप्रवाह	733	6.4	8.0	11.4	7.5
इलाहाबाद अधोप्रवाह	743	6.6	8.8	15.5	4.1
वाराणसी उर्ध्वप्रवाह	908	5.6	8.1	10.1	2.3
वाराणसी अधोप्रवाह	916	5.9	8.4	10.6	3.7
पटना उर्ध्वप्रवाह	1188	8.4	7.1	2.0	1.7
पटना अधोप्रवाह	1198	8.1	6.9	2.2	1.8
राजमहल	1508	7.8	7.4	1.8	1.6
पाल्टा	2050	उपलब्ध नहीं	6.9	उपलब्ध नहीं	2.6
उलुबेरिया	2500	उपलब्ध नहीं	6.8	उपलब्ध नही	3.2

*मार्च से जून के महीनों का औसतमान, जब तापमान अधिक और प्रवाह निम्न होता है।

— यमुना, पश्चिमी यमुना नहर, गोमती, हिंडन, सतलुज (पंजाब), कावेरी (तमिलनाडु), तुंगा, भद्रा, तुंगभद्रा (कर्नाटक) नदियों और चैन्नई के वाटरवेज की जलगुणवत्ता की भी मॉनीटरिंग शुरू कर दी गई है। इस समय 10 नदियों में 158 मॉनीटरिंग स्टेशन हैं जिनमें गंगा के ऊपरी भाग में स्थापित किए गए 27 स्टेशन और चैन्नई वाटरवेज के 32 स्टेशन भी शामिल है।

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य देश के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना था। एनएलसीपी का प्रयोजन उन जल निकायों, विशेषकर जो इस मंत्रालय के राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जा सके हैं, शामिल करना हैं।

एनएसीपी के अंतर्गत शामिल गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

चित्र 46. जीर्णोद्धार से पूर्व और बाद की पवई झील की स्थिति

- प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण आरंभ होने वाले स्थान पर ही रोक लगाना, मार्ग बदलना और झीलों में गिरने से पहले जल का शोधन करना।
- झील सफाई संबंधी स्थान बाह्य उपाय करना जैसे कि गाद जमने न देना, गाद की सफाई करना, जैव उपचार करना और नमभूमि पद्धति अपनाना जो कि स्थल विशेष की स्थितियों पर निर्भर करता है।
- जल भराव वाले क्षेत्रों का ट्रीटमेंट करना और झीलों का सौंदर्यकरण करना जिसमें पुश्ते बनाना, बाड़ लगाना, जल साधारण के मनोरंजन (चिल्ड्रन पार्क, नौकायन) और सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी सुविधाओं का सृजन करना।
- जल जागरूकता और जन सहयोग।
- स्थान विशेष की स्थितियों के अनुसार अन्य गतिविधियों और जनता से रूबरू होना।

किए गए कार्यों संबंधी प्रगति

- अब तक कुल 632.62 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 13 राज्यों की 49 झीलों के लिए कुल 33 परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा चुका है (अनुलग्नक III) अब तक 11 झीलों के सरंक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। जबकि कुछेक परियोजना पूरी होने के अंतिम चरणों में है। फरवरी 2002 से एनएलसीपी के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत संबंधी बंटवारे में निधियन अनुपात 70 और 30 का है।

12वां विश्व झील सम्मेलन-जयपुर घोषणा

- इस मंत्रालय ने जयपुर, राजस्थान में 28 अक्टूबर 2007 से 2 नवंबर 2007 तक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय झील पर्यावरण समिति (आईएलईसी) के तत्वावधान में प्रति दो वर्ष पर होने वाले 12 वें विश्व झील सम्मेलन (ताल 2007) का आयोजन किया था। इस विशाल कार्यक्रम में राजस्थान राज्य सरकार ने सह आयोजक की भूमिका निभाई थी। इस सम्मेलन का मूल विषय "भविष्य के लिए झीलों और नमभूमि को बचाओं" था। अन्य मुख्य लक्ष्यों में विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न स्थितियां में अपनाई गई इसका उद्देश्य विभिन्न पुनरुद्धार पद्धतियों को अपनाने के साथ–साथ झीलों और नमभूमि संबंधी समस्याओं की पहचान करना था।
- सम्मेलन का उद्घाटन भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने 29 अक्टूबर 2007 को राजस्थान के माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया। इस सम्मेलन में लगभग 150 देशों से आए करीब 600 प्रतिनिधियों ने संबंधित विषय पर अपने–अपने अध्ययन के अनुसार मौखिक और पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए।

चित्र 47. 12वें विश्व झील सम्मेलन के दौरान माननीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री, सचिव (पर्यावरण एवं वन) तथा अपर सचिव (आरएचके) एक प्रैस कांफ्रेंस में

- सम्मेलन में किए गए चिंतन–मनन का अनुपालन करने के लिए विदाई सत्र के दौरान जयपुर घोषणा को स्वीकृत कर लिया गया। घोषणा में निम्नलिखित शामिल हैः–
- घरेलू, कृषि और मनोरंजन के लिए झीलों और नमभूमि के महत्व और जैव–विधिवता के संरक्षण संबंधी आदतों में सुधार के महत्व को स्वीकार करना।
- पारिस्थितिकीय प्रणाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रदाता दलों की व्यवस्था करने के लिए झीलों और नमभूमि के महत्वपूर्ण सहयोग पर विचार करना।
- झीलों और नमभूमि के महत्व और कार्यों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आलोक में रखते हुए उनके बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।
- विकासपरक और मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप झीलों और नमभूमि की गुणवत्ता तेजी से आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त करना।
- झीलों और नमभूमि पर मौसम परिवर्तन के संभावित प्रभाव का अध्ययन करना।
- यह ध्यान देना कि झील और मानवजाति को अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं जिनको आर्थिक महत्व का अभी तक कोई लेखा–जोखा नहीं रखा गया है और न ही समझा गया है।
- विज्ञान और मौजूदा प्रौद्योगिकी की स्थिति पर व्यापक चर्चा करना और झीलों तथा नमभूमि प्रबंधन के लिए अनुभवों और प्रथाओं का परस्पर विनिमय करना।
- झीलों और नमभूमि के जल की मात्रा और गुणवत्ता तथा उनके पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य को प्रभावित करने में झील विकास बेसिनों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करना और समेकित झील बेसिन प्रबंधन (आईएलवीएम) की उभरती अवधारणा को नोट करना, और

झीलों तथा नमभूमि के गिरते स्तर को रोकने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और सम्मेलन में सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आह्वान किया कि वेः

- समुचित अनुसंधान पद्धतियों का प्रयोग करें और प्रबंधकीय कार्य योजनाओं के निष्पादन हेतु डेटा बैंकों की स्थापना करें;
- झीलों और नमभूमि के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक मानकों के लिए मानदंडों का विकास करें।
- खतरनाक जलीय प्रजातियों के नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए तत्संबंधी दिशा–निर्देश प्रोटोकोल तैयार करें,
- झीलों और नमभूमि के पुनरुद्धार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नई, सस्ती और पर्यारण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास करें,
- जल निकायों के संरक्षण और बुद्धिमता पूर्ण उपयोग संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदायों में महिलाओं और युवा वर्ग सहित सभी हितार्थियों का सक्रिय सहयोग लें और बेहतर परिणामों के लिए अद्यतन तकनीकों में परंपरागत ज्ञान को भी शामिल करें।
- झीलों और नमभूमि के संरक्षण तथा उनकी पारिस्थितिकीय सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु उचित सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा दें;
- वैज्ञानिक अध्ययनों को प्राथमिकता दें और मौसमी परिवर्तनों की चुनौती का सामना करने के लिए उन्मूलन संबंधी रणनीति तैयार करें। झील के अस्तित्व की रक्षा और स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) को आपस में जोड़ने की संभावनाओं की तलाश करें,
- झीलों और नमभूमि के प्रबंधन और पुनरुद्धार में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत और वित्तीय तंत्र की स्थापना करें,
- झीलों और नमभूमि संबंधी अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उनके स्थायी प्रबंधन तथा पुनरुद्धार के लिए समुचित प्रौद्योगिकियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक एशियन सेंटर ऑफ एक्सीलैंस की स्थापना की जाए।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से दोहरी व्यवस्था अपनाते हुए झीलों और नमभूमि के पुनरुद्धार और प्रबंधन को बढ़ावा दें।

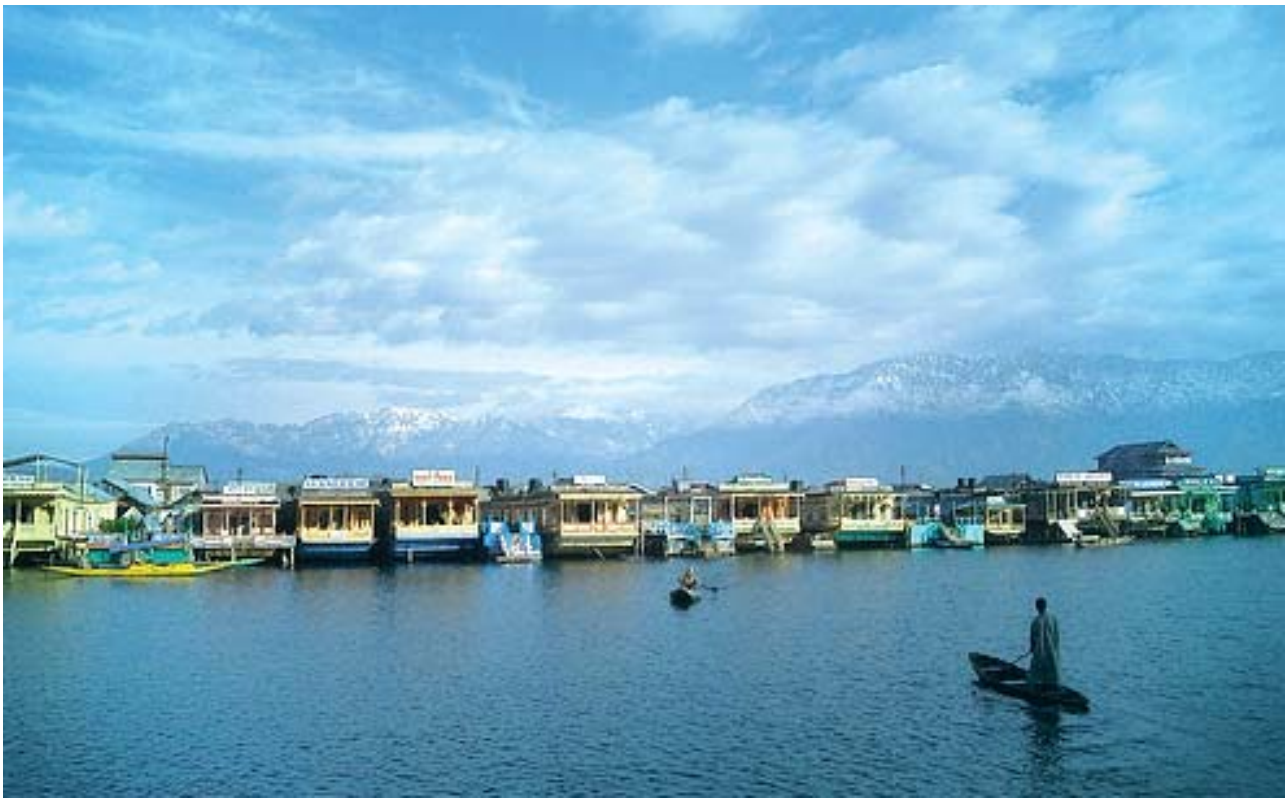

चित्र 48. कश्मीर में डलझील का एक दृश्य

राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम

प्रस्तावना और उद्देश्य

– नमभूमि के संरक्षण और प्रबंधन संबंधी इस योजना को 1987 में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आरंभ किया गया था:

- देश में नमभूमि के संरक्षण और प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश तैयार करना,
- गहन संरक्षण उपायों के लिए प्राथमिकता वाली नमभूमि पर कार्य करना,
- संरक्षण, प्रबंधन और अनुसंधान संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना
- भारत नमभूमि संबंधी सूची तैयार करना,

– उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय नमभूमि समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय नमभूमि समिति की विभिन्न बैठकों में की गई सिफारिशों के आधार पर अब तक राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम (अनुलग्नक III) के अंतर्गत संरक्षण के लिए 94 नमभूमि पहचान ली गई हैं।

प्रतिनिधियां

- इस कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:
- आंकड़ा संग्रहण और सर्वेक्षण,
- समस्याओं की पहचान करना,
- नमभूमि का नक्शा तैयार करना
- भूमि संबंधी योजना बनाना, जल विज्ञान और अतिक्रमण नियंत्रण,
- यूट्रोफिकेशन तथा उपशमन
- जलीय खरपतवार नियंत्रण
- वन्य जीव संरक्षण
- मत्स्य विकास
- पर्यावरण जागरूकता
- नमभूमि प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं संबंधी अनुसंधान, और
- कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रचालन और संगठन।

की गई कार्रवाई की प्रगति

नमभूमि संरक्षण

– नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पहचानी गई नमभूमि संबंधी जो संख्या 2004 में 27 थी वह 2005 में बढ़कर 71 तथा 2007 में बढ़कर 94 हो गई। नमभूमि संबंधी सूची में 8-10 नमभूमि के और बढ़ जाने की संभावना है। (पहचान ली गई नमभूमि संबंधी सूची अनुलग्नक VII पर दर्शाई गई है)

– 2 फरवरी, 2007 को "राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण सोच और दिशा–निर्देश" नामक एक ब्रोशर जारी किया गया जो अब प्रकाशित हो गया है और सभी प्रयोक्ता एजेंसियों को परिचालित कर दिया गया है।

– 36 नमभूमि संबंधी प्रबंधन कार्य योजनाएं (एमएपी) अनुमोदित हो चुकी हैं। वित्तीय सहायता स्वीकृत हो चुकी है। पहचान कर ली गई 10 और प्रबंधन कार्य योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

– देश में पहचान कर ली गई नमभूमि संबंधी प्रबंधन कार्य योजनाओं को अनुपूरित करने के लिए एक अनुसंधान परियोजना अनुमोदित कर दी गई है।

– नमभूमि के महत्व और कार्यों के प्रति देश के विभिन्न भागों में लोगों को सुग्राही बनाने के लिए 12 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

– राष्ट्रीय महत्व की नमभूमि के स्वतंत्र मूल्यांकन का खाका तैयार कर लिया गया है। पांच नमभूमियों नामतः पोंग डैम (हिमाचल प्रदेश, हराइक (पंजाब), दीपर बील (असम), चिल्का झील (उड़ीसा) और टीसो मोसरी (जम्मू व कश्मीर) का मूल्यांकन प्रबंधन कार्य योजना के अंतर्गत हुआ है। यह योजना 5 से अधिक वर्षों से चल रही है और यह कार्य डब्ल्यू II, देहरादून को सौंपा गया है।

चित्र 49. *चिल्का झील* – प्रवासी पक्षियों का एक डेस्टीनेशन

– समेकित जल संसाधन प्रबंधन और नमभूमि संरक्षण के लिए चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहयोग से दिनांक 7-11 अगस्त, 2006 के दौरान एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डब्ल्यू II, देहरादून, गियर फाउंडेशन, गांधी नगर और भोपाल में तीन क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

– नमभूमि संरक्षण के लिए देश नियामक फ्रेमवर्क संबंधी प्रारूप रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

रामसर कनवेंशन

रामसर समझौते के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

– भारत भी कन्वेंशन का एक सदस्य है और इन कन्वेंशनों में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, प्रवासी प्रजातियां, विश्व धरोहर और अंतःसंबद्धता के बारे में अंतर–मंत्रालयी विचार–विमर्श बार–बार किया जाता है, ताकि उनके कार्यान्वयन के लिए कार्यों पर समेकित योजना विकसित की जा सके।

– अब तक भारत में रामसर स्थलों के रूप में 25 स्थलों को पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। (अनुबंध–VI ख)

– भारत को वैटलैण्ड इंटरनेशनल का निदेशक मंडल नामित किया गया है और भारत के अनुरोध पर वैटलैण्ड इंटरनेशनल के निदेशक मंडल की बैठक मानेसर, नई दिल्ली में 19-20 अक्टूबर, 2005 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में लगभग 23 देशों ने भाग लिया था। भारत ने इनमें से एक सत्र की अध्यक्षता की थी और नमभूमि संरक्षण पर भारत द्वारा किए गए प्रयासों की सभी भागीदार देशों ने भूरी–भूरी प्रशंसा की।

– भारत ने वैटलैण्ड इंटरनेशनल, आईयूसीएन, बर्ड इंटरनेशनल, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आदि द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सी ओपी–9 बैठक के पैनल के विचार–विमर्श में भाग लिया था। इस पैनल विचार–विमर्शों के दौरान भारत ने रामसर स्थलों की सूची में और स्थल जोड़ने की बजाय पहले से ही घोषित रामसर स्थलों की मॉनीटरिंग करने और उनकी पारिस्थितिकीय स्थिति को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। संरक्षण प्रक्रिया में समुदायों द्वारा हिस्सा लेने पर बल भी दिया गया और इस बात पर भी जोर दिया कि नमभूमि के आसपास रहने वाले लोगों की जीविका का स्तर ऊपर उठाने के लिए भी रास्ता निकाला जाए। पर्यावरणीय जागरूकता पर भी बल दिया गया।

– भारत ने रामसर सचिवालय और एशियाई देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हिमालयन पहल पर एक सत्र की अध्यक्षता भी की।

– भारत ने नई दिल्ली में जून, 2006 के दौरान हिमालय में ऊंचाई पर स्थित नमभूमियों पर एक क्षमता विनिर्माण कार्यशाला का आयोजन किया।

– इस समय 25 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में कुल मिलाकर 94 नमभूमियों की पहचान की गई है। बजट आवंटन को भी वर्ष 2006-07 में 9.60 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2007-08 के दौरान 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष के दौरान पांच और कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्वीकृत एमएपी की संख्या वर्ष 2006-07 में 36 थी जो वर्ष 2007-08 के दौरान बढ़ाकर 46 कर दी गई है।

कार्यक्रम को संचालित करने वाले विनियामक अधिनियम/नियम तथा नए अधिनियमों का प्रवर्तन

– कार्यक्रम को शासित करने वाले नियामक अधिनियम और नियमावली तथा नए आधी नियमों में प्रख्यापन नमभूमि के महत्व को स्वीकार करते हुए और यह तथ्य को मानते हुए कि नमभूमि विनियमन संबंधी कोई औपचारिक व्यवस्था का अभी तक सर्वथा अभाव है, मई 2006 में केबिनेट द्वारा यथा अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एनईपी), 2006 ने महत्वपूर्ण नमभूमि की पहचान करने के लिए नियामक तंत्र की विधिक स्थापना करने की बात कही थी ताकि उनकी अवनति नहीं हो और उनका संरक्षण भी हो सके। इसके लिए ऐसी नमभूमि की सूची बनाने की बात भी कही गई है। नीति संकल्प के अनुपालन में नमभूमि के लिए नियामक ढांचा तैयार करने के लिए बहु विषयी विशेषज्ञ दल ने अनेक बैठकों की हैं। विशेषज्ञ दल ने नमभूमि की पहचान प्रक्रिया, विनियमन की श्रेणी, विनियमक प्राधिकरण के गठन, प्राधिकरण के कार्यकरण और विनियामित होने वाली गतिविधियों के संबंध में अपनी सिफारिशें तैयार कर दी हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक प्रारूप अधिसूचना प्रस्तावित है।